किशोरी को भगाने के दोषी को तीन वर्ष की कैद

जासं ● श्रावस्ती : किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी को एडीजे ने तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया कि सिरसिया क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को एक अप्रैल 2015 को कटकुइया गांव निवासी रामरूप भगा ले गए थे। किशोरी के पिता की तहरीर पर सिरसिया थाने में मामला दर्ज हुआ था। आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। विचारण व सुनवाई के बाद एडीजे अवनीश गौतम ने दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

एसपी ने दंगा निरोधक उपकरणों का किया निरीक्षण,दिये निर्देश

मोहित गुप्ता

श्रावस्ती–राष्ट्रराज्य सं.सू. – श्रावस्ती जनपद में बारावफात एवं गणेश चतुर्थी के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में जनपद के सभी थाना प्रभारियों ने अपने–अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ बैठक कर उच्चाधिकारियों एवं शासन के दिशा–निर्देशों से स्टाफ को अवगत कराया। इस दौरान दंगा निरोधक उपकरणों का गहन निरीक्षण कर उन्हें पूर्णतः सक्रिय एवं उपयोग हेतु तैयार स्थिति में रखा गया। इसके साथ ही सभी थाना प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा बारावफात जुलूस मार्ग एवं गणेश प्रतिमा विसर्जन मार्ग पर फ्लैग मार्च निकाला गया।

इस पहल से न केवल आमजन में सुरक्षा का भाव सुदृढ़ हुआ बल्कि शांति और सौहार्द का संदेश भी प्रसारित हुआ। जनपद पुलिस सतर्कता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि आगामी त्योहार शांति, सौहार्द एवं आपसी भाईचारे के साथ सम्पन्न हों। साथ ही जनसहयोग को आधार बनाकर पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का संकल्प लिया गया है।